प्रपत्र VII (नियम 18 देखें)

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद अधिनियम), झंझारपुर।

GO/ST NO-.....422/.....2025 उत्पाद संसारपुर थाना सनहा सं0 266/25

CIS NO-.....

क0 सं0	पीठासीन पदा0का आदेश तिथि	न्यायालय का आदेश	कार्यालय का तिथि युक्त कार्य
	20.09.25	अभियुक्त का नामः- प्रभात राय उम्रः- 40 वर्ष पिता का नामः- उदय चंद्र राय पताः- ग्रा0 - नेहट, वार्ड - 11, थाना - संसारपुर, जिला - मधुबनी गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान 19/09/25, 20:30 बजे, नेहट पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि 20/09/25 पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित ऊपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एकद् द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक- 19/09/25 को अलकोहल का उपभोग किया था और वह नेहट (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था। उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका ब्यान दर्ज किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्टया संतुष्ट हुँ कि उसके विरूद्ध आरोप सु-आधारित है। इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा-37 के अधीन 2,000/- रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है। लेखा0 विशेष न्याय0 (उत्पाद अधिनियम), झंझारपुर	25 सितम्बर
	पश्चात 20-9-25	उपर्यक्त आदेश के आलोक में अभियुक्त कि ओर से अर्थदण्ड की राशि नजारत के चलान सं0:- 695/25 दिनांकः- 20-9-25 से जमा की गई उक्त दोषी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है तथा वाद निश्तारीत किया जाता है। कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखा0 विशेष न्याय0 (उत्पाद अधिनियम), झंझारपुर	

Scanned with OKEN Scanner